रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 610] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 9, 2011/कार्तिक 18, 1933

No. 610] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 9, 2011/KARTIKA 18, 1933

## पर्यावरण और वन मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2011

**सा.का.नि. 803(अ).**—केन्द्रीय सरकार, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 63 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) नियम, 1975 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) नियम, 1975 में नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"**8. पदों का सृजन और समाप्ति.**—(1) केन्द्रीय सरकार ऐसे पदों को सृजित कर सकेगी जो वह केन्द्रीय बोर्ड के दक्ष पालन के लिए आवश्यक समझे और इस प्रकार सृजित किसी पद को समाप्त कर सकेगी ।

(2) उप-नियम (1) के अधीन सृजित पदों के लिए सभी नियुक्तियां, केन्द्रीय बोर्ड द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड [अधिकारियों और कर्मचारियों (सदस्य सचिव से भिन्न) की भर्ती की पद्धति सेवा के निबंधन और शर्तें] विनियम, 1995 और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में वैज्ञानिक और तकनीकी समूह 'क' पद विनियम, 2009 के अनुसार की जाएंगी:

परंतु केन्द्रीय बोर्ड द्वारा वेतन बैंड-4 के अधीन आने वाले पद के संबंध में कोई भी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं की जाएगी"।

[फा.सं. क्यू-15014/10/2009-सीपीडब्ल्यू]

रजनीश दुबे, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण संख्यांक सा.का.नि. 58(अ), तारीख 27 फरवरी, 1975 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् (i) सा.का.नि. 352(अ), तारीख 21 फरवरी, 1976 (ii) सा.का.नि. 1260 (अ), तारीख 17 अगस्त, 1976 (iii) सा.का.नि. 377(अ), तारीख 20 जुलाई, 1978 (iv) सा.का.नि. 515(अ), तारीख 30 अक्तूबर, 1978 (v) सा.का.नि. 36(अ), तारीख 29 जनवरी, 1981 और (vi) सा.का.नि. 717(अ), तारीख 27 जुलाई, 1989 द्वारा संशोधित किए गए ।

## MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 2011

**G.S.R. 803(E).**—In exercise of the power conferred by section 63 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974), the Central Government, after consultation with Central Pollution Control Board, hereby makes the following rules further to amend Water (Prevention and Control of Pollution) Rules, 1975, namely :—

1. (1) These rules may be called the Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Water (Prevention and Control of Pollution) Rules, 1975, for rule 8, the following rule shall be substituted, namely:—

"**8. Creation and abolition of posts.**—(1) The Central Government may create such posts as it considers necessary for the efficient performance of the Central Board and may abolish any post, so created.

(2) All appointments for the posts created under sub-rule (1) shall be made by the Central Board in accordance with the provisions of the Central Pollution Control Board (Method of Recruitment, Terms and Conditions of Service of Officers and other Employees other than Member Secretary) Regulations, 1995 and the Scientific and Technical Group 'A' posts in Central Pollution Control Board Regulations, 2009:

Provided that with respect to a post falling under the pay band-4, no appointment shall be made by the Central Board without the prior approval of the Central Government".

[F. No. Q - 15014/10/2009-CPW]

RAJNEESH DUBE, Jt. Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* No. G.S.R. 58(E), dated the 27th February, 1975 and subsequently amended *vide* (i) G.S.R. 352(E), dated the 21st February, 1976 (ii) G.S.R. 1260 (E), dated the 17th August, 1976 (iii) G.S.R. 377(E), dated the 20th July, 1978 (iv) G.S.R. 515 (E), dated the 30th October, 1978 (v) G.S.R. 36 (E), dated the 29th January, 1981 and (vi) G.S.R. 717 (E), dated the 27th July, 1989.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.